संख्या-6/2018-297/62-2-2018-2/3(17)/2017

प्रेषक,

शरद कुमार सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियंता,
लघु सिंचाई विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

लघु सिंचाई एवं भूगर्भ जल अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 19 फरवरी, 2018

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखाशीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के100/रा00-के0) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2103/ल0सिं0/बजट-के0पो/2017-18, दिनांक 25.01.2018 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.08.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान संख्या-13 के अधीन लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01 केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के100/रा00-के0) में बजट के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0-33.12 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1016/62-2-2017-2/3(17)/2017, दिनांक 26.04.2017 द्वारा पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू0-10.80 लाख को घटाते हुए अवशेष धनराशि रू0-22.32 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-9.26 लाख (रूपया नौ लाख छब्बीस हजार मात्र) को संलग्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है:-

(1) उक्त समस्त धनराशि के आहरण, व्यय एवं प्रबन्धन में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/ 2017, दिनांक 03.8.2017 में विनिर्दिष्ट किये गये समस्त अनुदेशों एवं अन्य सुसंगत वित्तीय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन अक्षरश: अवश्यमेव सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) उक्त धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत लघु सिंचाई कार्यक्रम में चालू योजनाओं में अन्य व्यय (अधिष्ठान) की मदों में व्यय हेतु है। अवमुक्त धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाय, जिसके लिए वित्तीय हस्त पुस्तिका बजट मैनुअल एवं शासन के स्थाई/अस्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसा व्यय शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति व सहमति प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय तथा व्यय अवमुक्त धनराशि तक ही सीमित रखा जाय। व्यय में की गयी किसी भी अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(3) आपको पुनः स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाय एवं व्यय हेतु समय-समय पर शासन द्वारा मितव्यता संबंधी आदेशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(4) यह व्यक्तिगत रूप से सुनिश्चित कर लिया जाय कि अवमुक्त धनराशि के प्रत्येक बिल पर सही, सम्पूर्ण, मुख्य, लघु, उप एवं विस्तृत लेखा शीर्षक अवश्य अंकित किया जाय और प्रत्येक बिल के ऊपर दाहिनी ओर लाल स्याही से अवश्य लिखा जाय अन्यथा महालेखाकार कार्यालय में सही बुकिंग में बाधा होगी। अवमुक्त धनराशि को यथाशीघ्र खण्डीय अधिशासी अभियंताओं को आंवटित करते हुए शासन को भी अवगत कराया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष देय धनराशि कार्मिकों/अन्य संबंधितों के सीधे बैंक खाते में डाली जायेगी।

(6) अवमुक्त धनराशि के समक्ष किये गये व्यय निम्नलिखित समय सारणी के अनुसार निर्धारित रूप पत्रों में मुख्य अभियंता, लघु सिंचाई विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराये जायें;-

1-	मासिक व्यय विवरण	आगामी माह की 05 तारीख तक
2-	आवंटन का समर्पण	15.03.2018 तक

नोट:- दिनांक 15.03.2018 के बाद कोई भी समर्पण स्वीकार नहीं किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत् अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के100/रा00-के0) में सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03.8.2017 के क्रम में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग के परामर्श से जारी किये जा रहे है।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,
(शरद कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या- 297(1)/62-2-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
5- निदेशक, सूचना, उत्तर प्रदेश।
6- एन0आई0सी0 की प्रति।
7- उप निदेशक, सांख्यिकीय सेल, लघु सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सं0-297/62-2-2018-2/3(17)/2017, दिनांक 19 फरवरी, 2018 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के अन्तर्गत अनुदान सं0-13 के अधीन "लेखा शीर्षक-2702-लघु सिंचाई-80-सामान्य-800-अन्य व्यय-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0103-रेशनलाइजेशन आफ माइनर इरीगेशन स्टेस्टिकल सेल का गठन (के.100/रा.00-के.) में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अतिरिक्त अवमुक्त की जाने वाली धनराशि का विवरण।

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	मद	बजट प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अतिरिक्त अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5
1.	01-वेतन	25.8	9.63	8.53
2.	03-मंहगाई भत्ता	1.55	0.48	0.22
3.	04-यात्रा व्यय	0.30	0.07	0.08
4.	05-स्था0 यात्रा व्यय	0.00	0.00	0.00
5	06-अन्य भत्ते	2.50	0.62	0.08
6.	07-मानदेय	0.10	0.00	0.00
7.	08-कार्यालय व्यय	0.05	0.00	0.05
8.	09-विघुत देय	0.05	0.00	0.00
9.	11-लेखन सामग्री व फार्मो की छपाई	0.05	0.00	0.02
10.	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.00	0.00	0.00
11.	13-टेलीफोन पर व्यय	0.20	0.00	0.20
12.	47-कम्प्युटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.13	0.00	0.08
13.	49-चिकित्सा व्यय	0.00	0.00	0.00
14.	51-वर्दी	0.02	0.00	0.00
15.	पुनरीक्षित का अवशेष वेतन (राजकीय)	2.32	0.00	0.00
	योग:-	33.1	10.80	9.26

(रू0- नौ लाख छब्बीस हजार मात्र)

(विभाकर द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- **यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।**
2- **इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट** http://shasanadesh.up.nic.in **से सत्यापित की जा सकती है ।**